न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–34 / 2021
GCMS NO:- 2021/65

दायर दिनांक: 12.04.2021
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बजरंगा आ0 मोती जाति धाकड नि0 करवर।
2. हेमराज आ0 मोती जाति धाकड नि0 करवर।
3. रामचन्द्र आ0 फुन्दया जाति धाकड नि0 करवर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेशचन्द आ0 नन्दकिशोर जाति खाती नि0 करवर।
2. दामोदर प्रसाद आ0 नन्दकिशोर जाति खाती नि0 करवर।
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र–: अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामराज धाकड।
अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 14.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर मे भूमि खसरा नम्बर 285/2 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 286 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा स्थित है एवं भूमि खसरा नम्बर 285/1 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम करवर से खजूरा जाने वाले ग्रेवल रोड से फटकर दक्षिण की ओर चलता हुआ खसरा नम्बर 279, 280, 285 मे होता हुआ खसरा नम्बर 286 व 287 मे पहुंचना है। इनमे से कुछ भूमि अप्रार्थीगण की भी है एवं सिवायचक भी है और सिवायचक भूमि को फाडकर अपनी भूमियों मे मिला लिया है। यह रास्ता अनाधिकाल से चला आ रहा है जिस पर आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। अप्रार्थीगण ने गत 30 योम से अवैघ एवं अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण के आने जाने मे रूकावट डालने लगे है। ट्रैक्टर के आडे फिर जाते है, डोल लगाने एवं तारबंदी कर अपनी भूमि मे मिलाने की धमकी दे रहे है यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह है कि प्रार्थीगण को अधिकारी प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित एवं परिशिष्ट ए मे लाल रंग से दर्शित रास्ते को प्रार्थीगण के खेतों मे पहुंचने का रास्ता घोषित कर 15 फीट चौडा रास्ता किया जावे जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2025 के मुताबिक प्रार्थीगण के खेत मे पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 279 एवं 285 मे से रास्ता दिया जाना उचित बताया तथा उसके अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई लघुत्तम एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही होना बताया। साथ ही यदि खसरा नम्बर 279 व 285 मे से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते मे प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई x चौडाई	क्षेत्रफल
279	सिवायचक	बंजड	132 मी. x 3.048 मी.	402.336 वर्गमीटर अर्थात 0.0402 हैक्टयर
285	सिवायचक	बंजड	20 मी. x 4 मी.	80 वर्गमीटर अर्थात 0.0080 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 482.336 वर्गमीटर या 0.0482 हैक्टयर

बहस अन्तिम सुनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर आने जाने

हेतु 15 फीट चौडा रास्ते की नितान्त आवश्यकता है तथा तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की चरण संख्यार 01 मे वर्णित खेतों पर आने जाने का वर्षो पुराना एक रास्ता करवर–खजुरा वाले प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित रास्ते जिसके खसरा नम्बर 254 गै.मु. रास्ता है, से दक्षिण दिशा की तरफ मूड कर खसरा नम्बर 276, 277 के पश्चिम मे बने हुए ग्रेवल सडक से चल कर दक्षिण दिशा मे प्रार्थीगण के खेतों तक सीधा जा रहा है जो वर्तमान मे भी चालू है। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पोषनीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस के विवेचन, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 286, 287, 285/1 व 285/2 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 279 व 285 के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम व वैकल्पिक रास्ता नही है अतः ग्राम करवर के खसरा नम्बर 286, 287, 285/1 व 285/2 मे पहुंचने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 279 व 285 मे से निम्नानुसार रास्ता दिया जाता है जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट क नाम दिया गया है जो इस न्यायालय आदेश का अभिन्न अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवॉ को दिये जाते है। :–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई x चौडाई	क्षेत्रफल
279	सिवायचक	बंजड	132 मी. x 3.048 मी.	402.336 वर्गमीटर अर्थात 0.0402 हैक्टयर
285	सिवायचक	बंजड	20 मी. x 4 मी.	80 वर्गमीटर अर्थात 0.0080 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 482.336 वर्गमीटर या 0.0482 हैक्टयर

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा होने के उपरान्त नियमानुसार रास्ता दर्ज कर बहाल करवाना सुनिश्चित करें। निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

जमाबन्दी

आंशिक नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम - करवर
प. म. - करवर
तह. - नैनवाँ (बूंदी)

=परिशिष्ट-3=

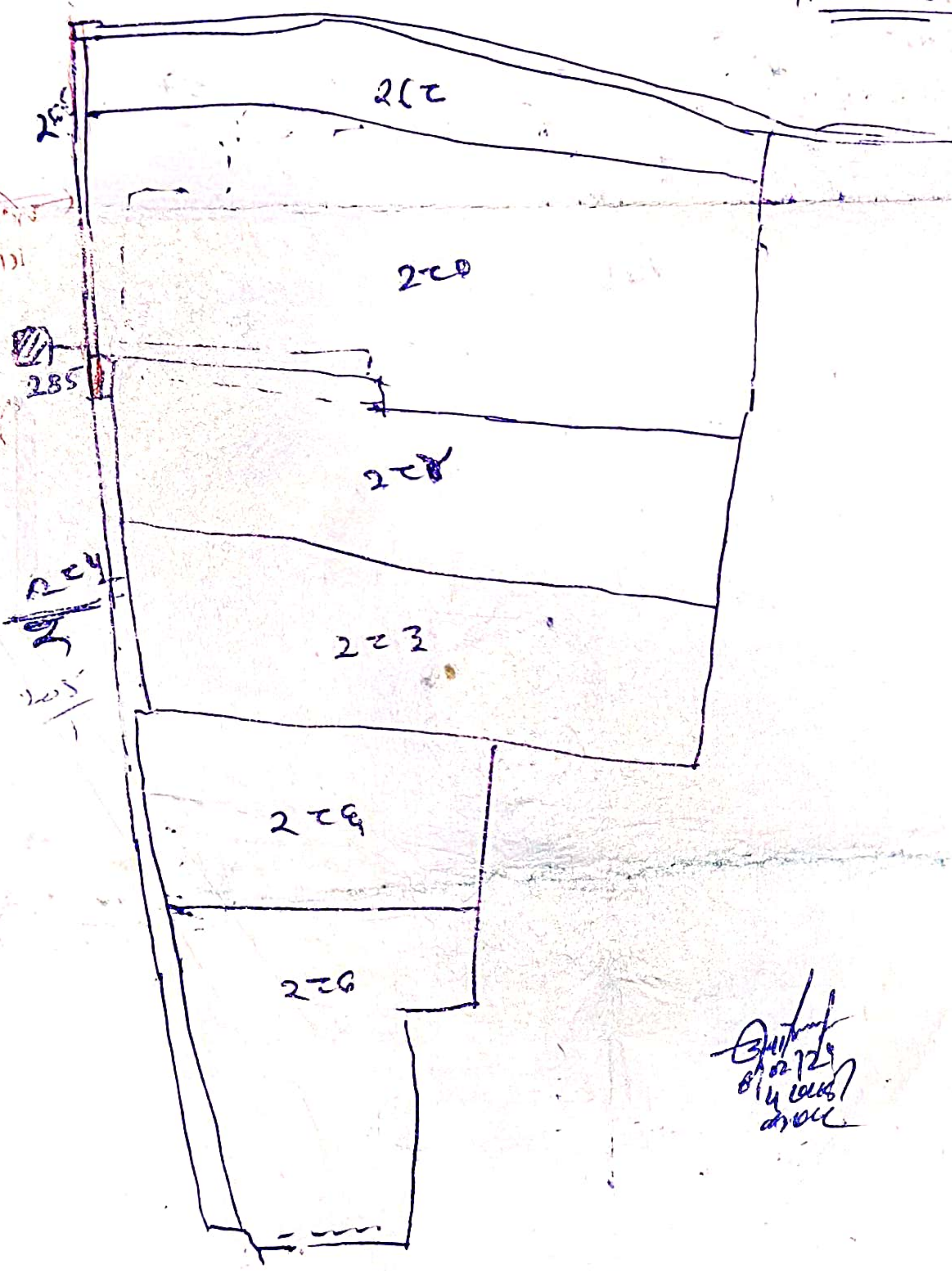

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)